न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर
शम्भू बनाम पांचू मृ 1/1 पारसी देवी वगैरह
किस्म मुकदमा:—225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या 200/2026 (किशनगढ)

रिमाण्ड
7/5/26

	श्री विजेन्द्र सैनी	
04.05.2026	शम्भू बनाम पांचू मृतक पारसी देवी वगैरह (2026/200) यह अपील श्री विजेन्द्र सैनी एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.04.2026 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। पत्रावली वारते आदेशार्थ दिनांक 07.05.2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
07.05.2026	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 04.05.2026 को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत निवेदन किया कि अपील के निस्तारण में समय लगना स्वभाविक है इसलिए अपील के निस्तारण तक अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेशिका दिनांक 07.04.2026 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए मूल अपील के पैरा संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि का बिना विधिक बंटवारा किये एवं बटवारा का मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय में 35 वर्षो से विचाराधीन है उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 20 के द्वारा छोटे—छोटे भूखण्डों में विखण्डित कर बिना बटवारा के ही भूखण्डो के रूप में बेचान किये जाने पर आमादा हो रहे है मौके पर भूखण्ड विखण्डित कर दिये है एवं रोडे बना रहे है एवं कुछ भूखण्डों का बेचान भी कर दिया है। इसलिए मूल अपील के निस्तारण तक अप्रार्थीगण संख्या 01 से 20 को स्थगन आदेश से पाबंद किया जानना न्यायहित में आवश्यक है। अपीलार्थीया/प्रार्थीया का अपीलाधीन आराजी पर काबिज काश्त है एवं सहखातेदार है। अपीलाधीन आराजी में अपीलार्थीया/प्रार्थीया का विधिक रूप से हक हिस्सा अधिकार निहित है इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु अपीलार्थीया के पक्ष में सिद्ध है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 20 को स्थगन आदेश से पाबंद नहीं किया गया तो रेस्पोडेन्टस/अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 20 को स्थगन आदेश से पावंद नही किया गया तो रेस्पोडेन्टस/अप्रार्थीगण को अपीलाधीन आराजीयात में विना विधिक वंटवाराा करवाये एवं बटवारा का वाद के विचाराधीन रहते हुए छोटे—छोटे भूखण्डों में विखण्डित करके उसका बेचान, आराजी की शक्ल परिवर्तन, अन्तरण, हस्तानान्तरण करने पर आमादा हो रहे है एवं कुछ भूखण्डों का बेचान कर दिया है। जिससे वाद की बाहुल्यता बढ जायेगी एवं अपीलार्थीया के साम्पतिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 22 को ताफैसला अपील इस आशय के स्थगन आदेश से पाबंद फरमाया जाये कि अपीलाधीन आराजीयात अपील के पैरा संख्या 02 में वर्णित ग्राम किशनगढ ए	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

लगातार....

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर
शम्भू बनाम पांचू मृ 1/1 पारसी देवी वगैरह
किस्म मुकदमाः-225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या 200/2026 (किशनगढ)

लगातार.... पटवार हल्का किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर में स्थित भूमि के बिना विधिक बटवारा करवाये एवं बटवारा का मूल वाद के विचाराधीन रहते हुए एवं उसका जब तक निरतारण नही हो जाता है तब तक अपीलाधीन आराजी में छोटे-छोटे भूखण्ड विखण्डित नहीं करें, रोडे नहीं बनावे एवं भूखण्डों के रूप में अन्य व्यक्तियों को बेचान, हस्तांतरण, शक्ल परिवर्तन आदि नहीं करे इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा अपीलार्थीया के पक्ष में विरूद्ध रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 20 पारित की जावे एवं अपीलार्थीया को अपीलाधीन आराजी पर कृषकिय कार्य में व्यवधान, बाधा, रूकावट उत्पन्न नहीं करे एवं अराजी से अपीलार्थीया को बेदखल नही करें।

हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.02.2026 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज कर बहस सुनते हुए अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। दिनांक 07.04.2026 को अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/8, 2/1/1 से 2/1/9, 3 से 14 व 16 से 22 को जारी नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुए तथा प्रकरण को शेष रेस्पोडेन्ट संख्या 15, 23, 24 की तलबी हेतु आगामी पेशी दिनांक 15.04.2026 नियत की गई तथा दिनांक 15.04.2026 से आगामी पेशी दिनांक 04.05.2026 नियत की गई। अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से उज्र न्यायालय हाजा के समक्ष उठाये गये है वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब के साथ प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायायल से विधिक उपचार प्राप्त कर सकते है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है जिसका अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना है।

अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है।

अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

श्री विजेन्द्र सैनी Adv. अपील प्रस्तुत की। बाद जाँच रिपोर्ट पेश हो पेश हो।

(4.5.2026)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 200/2026

2026/200

शम्भु जरिये क्रेता श्रीमती सौभाग्यवती पत्नी श्री कैलाश चन्द जाति माली आयु लगभग 65 वर्ष निवासी अग्रसेन नगर, अजमेर रोड़, मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान

—अपीलार्थीया / प्रार्थीया

बनाम

1. पाँचू पुत्र श्री मदन लाल जाति माली मृतक जरिये विधिक वारिसान :–

2026/200
4.5.2026

1/1. श्रीमती पारसी देवी पत्नी स्व0 पाँचूलाल माली निवासी किशनगढ़

1/2. श्री बंशी लाल पुत्र स्व0 पाँचू माली निवासी किशनगढ़

1/3. श्री सूरज पुत्र स्व0 पाँचू माली निवासी किशनगढ़

1/4. श्री नेमीचन्द पुत्र स्व0 पाँचू माली निवासी किशनगढ़

1/5. श्रीमति कौशल्या देवी पुत्री स्व0 पाँचू माली निवासी किशनगढ़

1/6. श्रीमति कमला पुत्री स्व0 पाँचू माली निवासी किशनगढ़

1/7. श्रीमति मंगली पुत्री स्व0 पाँचू माली निवासी किशनगढ़

1/8. श्रीमति सम्पति देवी पुत्री स्व0 पाँचू माली निवासी किशनगढ़

सर्व निवासीगण मालियों की बाड़ी अरांई रोड़, किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

2. शंकर लाल पुत्र मदन लाल जाति माली मृतक जरिये विधिक वारिसान :–

2/1. विशन लाल (फौत) पुत्र स्व. शंकरलाल जाति माली जरिये विधिक वारिसान :–

2/1/1. सीता देवी पत्नी स्व0 विशन लाल जाति माली

2/1/2. हरिप्रसाद पुत्र स्व. विशन लाल जाति माली

सौभाग्यवती

Scanned with CamScanner

2/1/3. प्रेमचन्द पुत्र स्व. विशन लाल जाति माली
2/1/4. चन्द्रप्रकाश उर्फ चम्पालाल पुत्र स्व. विशन लाल जाति माली
2/1/5. विमल प्रसाद पुत्र स्व. विशन लाल जाति माली
2/1/6. पार्वती पुत्री विशन लाल जाति माली
2/1/7. मन्जु पुत्री स्व. विशन लाल जाति माली
2/1/8. सन्जू पुत्री स्व. विशन लाल जाति माली
2/1/9. कंचन पुत्री स्व. विशन लाल जाति माली

सर्व जाति माली सर्व निवासीगण अरांई रोड़, किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

2/2. सत्यनारायण पुत्र श्री मदन लाल जाति माली निवासी अरांई रोड़, किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

3. रामानन्द पुत्र श्री मदन लाल जाति माली निवासी किशनगढ़
4. श्री सुवालाल पुत्र श्री मदन लाल जाति माली निवासी किशनगढ़
5. श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री मदनलाल जाति माली निवासी किशनगढ़
6. लाडा देवी पत्नी मिश्रीनाथ जाति नाथ (जोगी) उम्र 35 वर्ष निवासी खेली घेरा की बस्ती, मालियों की बाड़ी, किशनगढ़ जिला अजमेर
7. आशा पत्नी सूरजमल उम्र बालिग जाति माली निवासी अरांई रोड़ मालियों का मोहल्ला, किशनगढ़
8. सीता पत्नी बंशीलाल जाति माली निवासी सामुदायिक भवन के सामने गढ़ी मालियान, अजमेर
9. संतश्री आशाराम जी पंचकुण्ड पुष्कर ट्रस्ट ब्रांच किशनगढ़ सेवा समिति राज. निवासी अरांई रोड़, मालियों का मौहल्ला, किशनगढ़
10. दिनेशचन्द पुत्र किशनलाल सैनी जाति माली निवासी मालियों की बाड़ी, किशनगढ़
11. पार्वती सैनी पत्नी दिनेश कुमार सैनी जाति माली निवासी बजरंग

सौभाग्यवती

Scanned with CamScanner

कॉलोनी मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर

12. राजेन्द्र मालाकार पुत्र हेमचन्द मालाकार जाति माली
13. पूजा देवी पत्नी रामप्रसाद जाति माली
14. पवन मालाकार पुत्र श्री गणेश माली
15. लोकेश मालाकार पुत्र श्री गणेश लाल जाति माली
16. शांति देवी पत्नी बालूराम जाति माली
17. सीता देवी पत्नी जगदीश जाति माली
18. सीता देवी पत्नी बाबूलाल मालाकार जाति माली
19. अमरचन्द मालाकार पुत्र हेमचन्द मालाकार जाति माली
20. कमला देवी पत्नी केलाश चन्द जाति माली

सर्व निवासीगण मालियों की बाड़ी, किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

21. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब, किशनगढ़ जिला अजमेर
22. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, किशनगढ़ जिला अजमेर
23. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बरना जरिये शाखा प्रबन्धक
24. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सिलोरा, किशनगढ़ राजस्थान जरिये शाखा प्रबन्धक

———रेस्पोडेन्ट्स/अप्रार्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेशिका दिनांक 07.04.2024 बउनवानी शंभू बनाम पांचू वगैरह राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 43/2026 में पारित आदेशिकाओं श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, किशनगढ़ के विरूद्ध

महोदय,

अपीलार्थीया/प्रार्थीया की ओर से निम्न निवेदन है कि :—

सोमा0रवानी

Scanned with CamScanner